[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 27th November, 2014]

HARYANA GOVERNMENT

REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 27th November, 2014

No. 2249-R-5-2014/15792.— The following draft of the rules which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 109 read with Section 112 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act 30 of 2013), is hereby published for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of the rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of period of seven days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Administrative Secretary to Government, Haryana, Revenue and Disaster Management Department, New Haryana Civil Secretariat, Sector 17, Chandigarh, from any person with respect to the draft of the rules before the expiry of the period so specified.

1. These rules may be called the Haryana Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Rules, 2014.

2. In the Haryana Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2014, (hereinafter called the said rules) in rule (4), after sub-rule 4, the following sub-rule shall be added at the end, namely:-

> "(5) The criteria to be followed to determine the price of land shall be such as specified in schedule A appended to the said rules".

3. In the said rules, the following schedule shall be added at the end, namely:-

SCHEDULE A

[see rule 4(5)]

Sr. No.	Component of Compensation package in respect of land acquired under the Act	Manner of determination of value	Date of determination of value
1	2	3	4
1	Market value of land	To be determined as provided under section 26	
2	Factor by which the market value is to be multiplied in the case of rural areas	1.00 (One)	
3	Factor by which the market value is to be multiplied in the case of urban areas	1.00 (One)	

P. K. GUPTA,
Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to
Government Haryana, Revenue and Disaster Management Department.

52838—C.S.—H.G.P., Chd.

[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 27th November, 2014]

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 नवम्बर, 2014

संख्या 2249–र–5–2014/15792 .- नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे हरियाणा के राज्यपाल, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 30), की धारा 112 के साथ पठित धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा, उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करते हैं, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि नियमों के प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से सात दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा इसके पश्चात् सरकार, ऐसे आक्षेपों अथवा सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग, नया हरियाणा सिविल सचिवालय, सैक्टर–17, चण्डीगढ़ द्वारा किसी व्यक्ति से नियमों के प्रारूप के सम्बंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाए, विचार करेगी।

1. ये नियम हरियाणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) नियम, 2014 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2014 जिसे, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है में, नियम 4 में, उप–नियम (4) के बाद, अन्त में निम्नलिखित उप–नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"(5) भूमि का मूल्य अवधारण करने के लिए पालन किए जाने वाला मापदण्ड ऐसा होगा जो उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।"

3. उक्त नियमों में, अन्त में निम्नलिखित अनुसूची जोड़ दी जाएगी, अर्थात्:–

अनुसूची

[देखिए नियम 4(5)]

क्रम संख्या	अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि की बाबत प्रतिकर पैकेज के संघटक	मूल्य अवधारण की रीति	मूल्य अवधारण की तारीख
1	2	3	4
1	भूमि का बाजार मूल्य	धारा 26 के अधीन उपबंधित रूप में अवधारण किया जाएगा	
2	ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में वे कारक, जिनके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जाना है	1.00 (एक)	
3	शहरी क्षेत्रों की दशा में, वे कारक, जिनके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जाना है।	1.00 (एक)	

पी0 के0 गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

52838—C.S.—H.G.P., Chd.